हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

4/25

पत्रावली पेश। अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखे जाने से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक...23/5/25... को पेश हो

23/5/25

पत्रावली पेश। अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखे जाने से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक...13/6/25... को पेश हो

12/6/25

पत्रावली पेश। बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक - 30/06/25 को पेश हो

30/6/25

पत्रावली पेश। वकील प्रार्थीया ने दौराने बहस कथन किया कि विवादित भूमियॉ हमारी सहखातेदारी की है। उक्त भूमियों का अभी विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। इसलिए प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा होता है। इसी अनुरूप में प्रार्थीया काबिज काश्त है। विधिवत बंटवारा नहीं होने से प्रार्थीया अपनी भूमि पर काश्त करने में परेशानियों का सामना करती है। अप्रार्थीगण भूमियों का बंटवारा नहीं करवाना चाहते है व बिना बंटवारा करवाए ही भूमियों को रहन, बेचान करने पर आमादा है व प्रार्थीया को उक्त भमियों में निहित हिस्सों पर से बेदखल करने में आमादा है व कब्जे काश्त में बाधा

उपखण्ड अधिकारी
डिण्डोली

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

डालते रहते है। अतः अप्रार्थीगण को वाद के निर्णय तक उक्त कृत्य नहीं करने हेतु पाबंद किया जावे।

उक्त तथ्यों के खण्डन में वकील अप्रार्थी संख्या 5 व 6 ने कथन किया कि हमने बंटवारा करवाने से मना नहीं किया है। प्रार्थीया के हिस्से तक स्थगन आदेश में हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थीया व अन्य पक्षकारों को पाबंद किया जावे। कि जिस पक्षकार का विवादित भूमि में जितना हिस्सा है उसके हिस्से व कब्जे में बाधा नहीं डाले स्थगन आदेश को प्रार्थीया के हिस्से तक सीमित किया जावे। अन्य सहखातेदारों के विरूद्ध स्थगन हो अपास्त किया जावे।

बाद मनन बहस विवादित भूमियों में प्रार्थीया सहखातेदार होने व विवादित भूमियों का बंटवारा नहीं होने से न्यायालय पक्षकारान के मध्य मूल वाद में बंटवारा हो जाने तक विवादित भूमियों को संरक्षित करना उचित समझता है ताकि अनावश्यक वाद बाहुलता न हो। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीया के पक्ष में होने से व सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त प्रार्थीया के हम में होने से एवं प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक :–23.08.2024 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी की गई. अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद कन्फर्म (Confirm) की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली